प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

कानपुर देहात

सेवा में,

जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी

कानपुर देहात

पत्रांक: एस०एस०ए०/ नि०पा०पु०-ढुलाई बिड / 343 /2021-22 दिनांक- 11.08.2021

विषय:जेम पोर्टल के माध्यम से शैक्षिक सत्र 2021-22 में जनपद स्तर से विकास खण्ड स्तर तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की ढुलाई हेतु बिड की शर्तें को NICकानपुर देहात के वेब पोर्टल पर अपलोअड/प्रकाशन करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक(बेसिक)उ०प्र०लखनऊ के पत्रांक बी/774-1133/2021-22दिनांक 09/06/2021 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम मे शैक्षिक सत्र 2021-22 में जनपद के परिषदीय, राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त ,केजीबीवी, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों व मदरसों मे अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के छात्र--छात्राओं में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु प्रकाशकों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही पाठ्य पुस्तकों को जनपद स्तर से विद्यालय स्तर तक पहुंचाने/ ढुलाई कराने हेतु / ढुलाई व्यवस्था में व्यय करने पर उसके प्रतिपूर्ति /भुगतान के लिए ढुलाई की दरें निर्धारित करने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 30.07.2021 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 31/07/2021 को कलेक्ट्रेट सभागार,माती कानपुर देहात में जिला स्तरीय समिति की बैठक मे समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम मे **वर्तमान सत्र 2021-22 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की ढुलाई जनपद स्तर से विकास खण्ड स्तर तक जेम पोर्टल के माध्यम से** निविदाएं आमंत्रित करते हुए निविदादाता द्वारा किया जाना है।

उक्त के क्रम में सभी इच्छुक ट्रान्सपोर्टरों एवं ट्रक मालिकों/इच्छुक फर्म /निविदादाता को सूचित किया जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा--1से 8 तक के परिषदीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों हेतु प्रकाशकों से प्राप्त निः शुल्क पाठ्य पुस्तकों का भण्डारण जिला स्तर पर किया जा रहा है। पाठ्य पुस्तकों को जनपद के निर्धारित भण्डारण गृहों अकबरपुर कानपुर देहात से समस्त विकास खण्डों में अवस्थित बी0आर0सी0 स्तर तक ढुलाई ट्रक, डी0सी0एम0, टाटा पिकअप, लोडर व अन्य गाड़ी द्वारा किया जाना है। अतः निविदादाता जेम पोर्टल के माध्यम से निम्न निर्धारित ढुलाई दरों के अनुसार किया जाना है-

क्रम संख्या	मद	पाठ्य पुस्तक ढुलाई हेतु प्रस्तावित दर 2021 -22 हेतु
1	टाटा पिकअप /डीसी एम /ट्रक /ट्रैक्टर/छोटा हाथी किराया प्रतिदिन	रु.500 दैनिक भाड़ा तथा तेल और ईधन अलग से
2	डीजल	10 किमी प्रतिलीटर के आधार पर अगस्त 2021 के रेट /वास्तविक दर
3	लेबर का पारिश्रमिक	रु. 332 प्रतिदिन की दर से

ढुलाई कार्य लोडिंग व अनलोडिंग सहित अद्योहस्ताक्षरी द्वारा विकासखण्डवार दी गयी संख्या/तिथि के अनुसार किया जायेगा।

नियम व शर्तें:--

1-- निविदा दाता का ढुलाई कार्य हेतु नियमानुसार रजिस्ट्रेशन तथा प्रोपराइटर का पैन नम्बर होना अनिवार्य है एव सम्बन्धित फर्म के नाम से बैंक खाता भी होना चाहिये।

2-- निविदादाता की भाड़े की दरों तथा लोडिंग तथा अनलोडिंग का व्यय का भुगतान किया जायेगा, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु पृथक से कोई धनराशि देय नहीं होगी।

3-- निविदादाता को निःशुल्क पाठ्य--पुस्तक की ढुलाई हेतु प्रयुक्त होने वाली गाड़ी का पूर्व से ही अवगत कराना आवश्यक है। वाहन प्रातः 07:30 बजे पर भण्डार स्थल पर उपलब्ध कराने होंगे विलम्ब से वाहन आने पर रात्रि के समय वांछित स्थल में अपरिहार्य स्थितियों की दशा में निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा।

4-- वाहन में वर्षा आदि से बचाव हेतु उचित व्यवस्था होनी चाहिये।

5-- निविदा की धरोहर धनराशि रुपये--10,000.00 का बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चेक जो कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात के नाम से देय होगा,

6-- निर्धारित समय के अन्दर वाहन उपलब्ध कराना होगा, अन्यथा की स्थित में अथवा समुचित कारण न पाये जाने पर सम्बन्धित की धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा फर्म को काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी।

7-- समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने का पूर्ण अधिकार समिति का होगा।

8-- जिस निविदादाता का चयन समिति द्वारा किया जायेगा उसे जमानत के रूप में धनराशि रूपया 40000.00 एफ0डी0आर0 / राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में जमा करनी होगी जो कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात के नाम से बन्धक होगी।

9-- भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये बिलों का भुगतान वित्तीय नियमों के आलोक में किया जायेगा।

10-- निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों की ढुलाई का कार्य पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता के आधार पर तत्काल बी0आर0सी0 स्तर तक किया जाना है, क्योंकि वर्तमान में कोविड–19 के कारण अन्य जनपदों से आवागमन बाधित है ,अतः निविदादाता फर्म स्थानीय रूप से कानपुर देहात /कानपुर नगर /निकटतम जनपद का होना अनिवार्य है।

11-- समस्त पुस्तकों की समस्त चक्रों की ढुलाई के पश्चात ही राज्य परियोजना कार्यालय से बजट प्राप्त होने पर धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

12.- **निविदादाता को जनपद कानपुर देहात के निर्धारित भण्डार गृहों से विकास खण्ड स्तर तक ढुलाई कार्य हेतु अधिकतम धनराशि रूपये 319385/ का ही भुगतान किया जायेगा।**

उक्त कार्य हेतु दिनांक 07/08/2021 को जेम पोर्टल पर निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं |अस्तु आपसे अनुरोध है कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक ढुलाई सम्बन्धी उक्त नियम व **शर्तों को जनपद कानपुर देहात के nic की वेब पोर्टल पर प्रकाशित** करने का कष्ट करें।

AnKhan

11-08-2021

(सुनील दत्त)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर देहात

पृ०सं०: एस०एस०ए०/ नि०पा०पु०-ढुलाई / / 2021-22 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित |

1- जिलाधिकारी महोदय, कानपुर देहात |

2- | मुख्य विकास अधिकारी महोदया, कानपुर देहात |

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर देहात